नियम 47 : कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा

नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय प्रदाय की दशा में, सेवा की प्रदाय की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं का प्रदायकर्ता एक बीमाकर्ता है या बैंकिंग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है जिसके अन्तर्गत एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की प्रदाय की तारीख से पैंतालीस दिवस होगी :

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलीकॉम प्रचालक या सेवा की प्रदायकर्ता का कोई अन्य वर्ग, जैसा भी मामला हो, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय प्रदाय के लिए, बीजक प्रदायकर्ता द्वारा लेखा बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान प्रदाय की गई थी, जारी कर सकेगा।